

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1350/2024**

NARESH KUMAR

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND
THROUGH PRINCIPAL SECRETARY ENVIRONMENT
AND FOREST AND ORS.

...RESPONDENT(S)

INDEX

NDOH:02.04.2025

LDOH:29.01.2025

S.No.	Particulars	Pg.No
1.	Affidavit in reply on Behalf of Impleaded Respondent No.8 Deepika Tyagi	1-4
2.	Annexure P-1 order dated 17.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal Court in Original Application No. 1350/2024	5-7
3.	Annexure P-2 A copy of the letter submitted to the chief district officer of Horticulture dated 09.10.2024	8
4.	Annexure P-3 inspection report prepared by the in charge officer dated 03.12.2024 along with the sketch of land	9-10
5.	Annexure P-4 order passed by the Chief Horticulture Officer Haridwar dated 16.12.2024	11-12
6.	Annexure P-5 Permit issued by the office of the divisional forest officer, Haridwar forest division issued on 20.12.2024	13

Through



Ayush Koushik & Lakshya Raj Singh
Advocates for Respondent No.8

Email: chambersofakaushik@gmail.com

PLACE: New Delhi

DATE: 28.03.2025

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1350/2024**

NARESH KUMAR

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND
THROUGH PRINCIPAL SECRETARY ENVIRONMENT
AND FOREST AND ORS.


...RESPONDENT(S)

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.8 DEEPIKA TYAGI

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Deepika Tyagi D/o Satish Tyagi aged about 19 Years, resident of 01, Mayur Vihar Colony Arya Nagar Jwalapur, Tehsil and District Haridwar-249407, do hereby solemnly affirm and declare as under:


1. A letter Petition was filed by Naresh Kumar on 19.10.2024 before this Hon'ble Tribunal alleging the unauthorized felling of 200 tress on agriculture land owned by the Respondent No.8 This Hon'ble Tribunal passed an order dated 17.12.2024 directing the Respondents to file their response. A copy of the order dated 17.12.2024 passed by this Hon'ble Tribunal Court in Original Application No. 1350/2024 is annexed herein as **Annexure P1.**



2. At the outset, it is respectfully submitted that the answering Respondent denies all the allegations, averments and statements made by the petitioner in the present Application and it is informed that the land located at Khasra NO. 335/1 & 335/2 situated at Bahadrabad, Tehsil and District Haridwar, belonging to the answering respondent wherein, a total of 26 trees were present.

Khasra	No. of Trees	Type of Trees
335/1	25	Mango
325/2	01	Semal

3. It is hereby informed that the Respondent sought permission from the Chief District Officer of Horticulture, Haridwar, on 09.10.2024, for felling of 25 mango trees from her land. The request was made on the grounds that the trees were old and yielded minimal fruit. A copy of a letter dated 09.10.2024 seeking permission from the Chief District Officer of Horticulture department is annexed as **Annexure P2**.
4. Subsequently, an inspection and survey were conducted by the officer in charge on the Respondent's land, and a detailed report dated 03.12.2024 was prepared. The report confirmed that the Respondent's land (Khasra No. 335/1 & 335/2) contained a total of 25 mango trees. Further, on 16.12.2024, the office of the Chief Horticulture Officer, Haridwar, issued



Permit No. 3478//2024-2025, granting permission to cut down all 25 mango trees.


A copy of the inspection report prepared by the in charge officer dated 03.12.2024 along with the sketch of land is attached herein and annexed as **Annexure P3**.

A copy of the order passed by the Chief Horticulture Officer Haridwar dated 16.12.2024 along with the details of the land is attached herein and annexed as **Annexure P4**.

5. Furthermore, the Respondent sent another letter dated 22.11.2024 to the Divisional Forest Officer, Haridwar Forest Division, seeking permission to cut down 1 Semal trees (Silk Cotton Trees or Bombax Ceiba) out of 1 semal on his land. In response, the office of the Divisional Forest Officer, Haridwar, issued letter No. 3115/23-3, granting permission to cut the 1 Semal trees.

A copy of the Permit issued by the office of the divisional forest officer, Haridwar forest division issued on 20.12.2024 is attached herein and annexed as **Annexure P5**.

6. That the allegations in the letter petitioner against the Respondent are wrong as the trees were cut only after seeking prior permission from the



concerned department. Further, all the above facts can also be verified from the Joint Report submitted by Respondent No.4/SDM.

7. That the answering respond is a law-abiding citizen with the highest regard for the orders of this Hon'ble Tribunal. In the view of the above submission, it is prayed that the present case may be disposed of.
8. In the view of the present response affidavit and its contents, the answering respondent states that the fact stated herein are true and correct, and that no material information has been concealed therefrom.

Dipika Tragi

DEPONENT

Dipika Tragi
IDENTIFIED

VERIFICATION

Verified at ~~Haridwar~~ on this 28th day of March, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing has been concealed



28 MAR 2025

ATTESTED
NOTARY PUBLIC

Dipika Tragi

DEPONENT

Item No. 02

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.1350/2024

Naresh Kumar

Applicant

Versus

State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 17.12.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the Applicant.

ORDER

1. Bharat Mata Abhinandan Sangathan, Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar, Uttarakhand has sent letter petition dated 19.10.2024 to this Tribunal which, under the orders of Hon'ble Chairperson, has been treated and registered as original application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010.

2. The Applicant has submitted that builders-Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi in collusion with Sahara India Ltd./Chirayu Estate converted agricultural land measuring 600 bigha for colonization. Above said persons had spread chemical on 200 mangoes and other trees standing in land measuring 150 bighas and cut the trees for colonization of the above said land. Complaint was made to the Chief Secretary, D.G.P., PCCF, CCF, Government of Uttarakhand and Chief Horticulture Officer and SSP, Haridwar but no action has been taken on the same. Above said persons spread chemical on 2000 trees on 29.09.2024 and illegally cut 200 trees on 11.10.2024 at about 10 P.M. and are preparing

to cut remaining trees. Persons who complained about illegal cutting of trees were illegally arrested by the police.

3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (i) State of Uttarakhand through Principal Secretary Environment and Forest; (ii) PCCF (HOFF), Uttarakhand; (iii) District Magistrate, Haridwar; (iv) District Horticulture Officer, Haridwar; (v) Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), (vi) Sahara India Ltd. Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar, (vii) Chirayu Estate, Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar (viii) Deepika Tyagi resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand, (ix) Abhishek Tyagi, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand who stand impleaded as respondents No. 1 to 9.

5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 9 requiring them to file their reply/response at least one week before the next date of hearing fixed.

6. Notices be served on respondents no. 6 to 9- Sahara India Ltd., Chirayu Estate, Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi through the District Magistrate, Haridwar and for this purpose notices issued to respondents no. 6 to 9- Sahara India Ltd., Chirayu Estate, Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi be sent to the District Magistrate, Haridwar by E-mail for taking print out and getting service of the same effected on them and sending his report in this regard within 15 days.

7. List for further consideration on 29.01.2025.
8. A copy of this order be also sent to the District Magistrate, Haridwar by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

December 17, 2024
Original Application No.1350/2024
JG.

सेवा में,

श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार।
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थिया खाता खतौनी नम्बर- 67
खसरा नम्बर- 335/1 रकबई-0.968है0 व खसरा नम्बर- 335/2म0, रकबई
0.763है0 स्थित मौजा- बहादुराबाद, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला
हरिद्वार की मालिक एवं स्वामिनी है। श्री मान जी हमारी उपरोक्त
सम्पत्ति में आम का बाग लगा हुआ है जिसमें कुल 25 पेड आम के खड़े हुए
जो कि बहुत अधिक पुराने हैं और जिनकी उम्र करीब 55-60 साल है इस
कारण यह पेड फसल नहीं देते हैं जिस कारण से मैं अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया
लाभान्वित नहीं हो पा रही हूँ इसलिये प्रार्थिया उपरोक्त 25 पेड आम
के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहती है जिसके
लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर
रखते हुए प्रार्थिया को उसकी सम्पत्ति में खड़े आम के 25 पेड कटवावे व
उसके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की
कृपा करे, आपकी अतिकृपा होगी।

दिनांक- 09/10/2024

प्रार्थिया

Dipika Tyagi


दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुदित कुमार त्यागी
निवासी- 01, निक्ट सोन्धी नर्सिंग होम म्यूर
बिहार आर्य नगर ज्वालापुर तहसील व जिला
हरिद्वार।

प्राप्त कक्षा
मु० उ० अ०
9/10/24

247
 पूरव दिशा 3 मेत्रा, 1 मेत्रा आदि चारा म सल्ल

10

उत्तर दिशा रवाली रवेत सतीश चपागी



उत्तर दिशा रवाली रवेत
 उत्तर दिशा रवाली रवेत

पूरव दिशा रवाली रवेत आनीवेज चपागी

नाम :- दीपिका चपागी 10 सतीश चपागी

पता: रमूर विहार, आर्यनगर, बालापुर

कुल वक्ष - 25

पालक भोग्य वक्ष = 25

Prashan
 प्रभारी
 30स0द0केन्द्र
 बहादुराबाद

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 927 / X-3-12 / दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45 / 1976 यथावृत्त की धारा-3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1-अधोलिखित प्रार्थी श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2-अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खडे हैं।

4-ये पेड पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलामकारी है।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये बैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादुराबाद	बहादुराबाद	335/1 व 335/2

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								योग
			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर	
दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	335/1	25 आम बीजू	00	00	00	00	04	08	10	03	25
	335/2		00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग-			00	00	00	00	04	08	10	03	25

8-प्रार्थी ने 250/प्रति पेड की दर से कुल 22 आम वृक्षों के सापेक्ष रू0 6250.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0, 6250.00 इंडियन बैंक हरिद्वार के खाता संख्या0 7929810499 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9-यदि प्रार्थी द्वारा पेड पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10-पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड काटने पर कृषक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक 3478 / उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 2- प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेंगे कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नहीं किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0ओ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष।
- 4- उपजिलाधिकारी हरिद्वार
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- वन क्षेत्राधिकारी बहादुराबाद

Received

Anshu Patel

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

आदेश

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की वेज़ापति संख्या 765/7-127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के साथ पठित 3-6 में (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति वचनबद्ध करने एवं अवमुक्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार आर्यनगर, ज्वालापुर मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा 25 आम के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 25 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादुराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 25 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड के एवज में नये पेड लगाने हेतु रू0 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 25 वृक्ष की धनराशि रू0 6250.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी एवं यदि पुराने पेडों के एवज में नये पेड नहीं लगाये जाते हैं तो बचत पत्र विभाग के नाम जब्त की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी

हरिद्वार।

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 3662/पातन-जमानत/2024-25 दिनांक हरिद्वार

10/2/2024।

प्रतिलिपि:- 1- श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार आर्यनगर, ज्वालापुर मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- डाकपाल, डाकघर, बहादुराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

3- शाखा प्रवन्धक, बहादुराबाद को सूचनार्थ।

मुख्य उद्यान अधिकारी

हरिद्वार।

10/2/24



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 226271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com
पत्रांक : 3114 /23-3, हरिद्वार दिनांक : 20/12/2024

पातन अनुज्ञा

श्रीमती दिपिका त्यागी पत्नी श्री मूदित त्यागी, निवासी-मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार के आवेदन पत्र के क्रम में उनके निजी नाप भूमि के खसरा सं0 335 में स्थित बहादुराबाद जिला हरिद्वार में खड़े सेमल(हरा खड़ा) प्रजाति के 01 वृक्ष के पातन हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज द्वारा अपने पत्रांक-286/23-3, दिनांक 22.11.2024 की रिपोर्ट/संस्तुति पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संस्तुति कर प्रेषित की गई है। वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 354/23-3, दिनांक 18.12.2024 से छपान रिपोर्ट मय एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0(सं0 7935439310) सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त संस्तुति एवं जाँच उपरान्त उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, (उत्तराखण्ड में यथा-प्रवृत्त) की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग	कुल संख्या	अन्युक्ति
01	सेमल(हरा खड़ा)	9 से ऊपर	01	वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज की जांच आख्यानुसार उक्त वृक्ष काफी पुराना होने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है।

1- उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है -

1. पत्र जारी होने के बाद 07 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अधि में वृक्षों का पातन करना होगा। उक्त 07 दिनों के बाद वृक्ष पातन हेतु कोई अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा।
2. उक्त वृक्षों की पातन अनुज्ञा उत्तराखण्ड शासन वन अनुज्ञा-3 संख्या 115/X-3-24/05(11)/2022, दिनांक 11 मार्च 2024 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपना समुपयोज्य व्यास प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जा रही है।
3. पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमाण, लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाशक की निकासी हेतु सम्बन्धित रेंज कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का किसी भी समय वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
5. उक्त वृक्षों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी पत्र में तथ्य का किसी भी मय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को निरस्त माना जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिह्नित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन प्रजाति का चयन व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वृक्ष के स्वामित्व को लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभाग इसका जिम्मेदार नहीं होगा।
8. पातन सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त तक ही मान्य होगी।
9. यह सुनिश्चित कर लेवे कि यह पातन अनुज्ञा केवल उक्त वृक्ष के लिये ही है। इसकी आड़ में अन्य वृक्षों का पातन न हो।
10. आवेदक को वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पातन उपरान्त सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात ही पातित वृक्षों की जड़ों का खुदान किया जाये।
11. शर्तों का उल्लंघन होने पर पातन अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं समस्त प्रकाशक को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

पत्रांक : 3114 / (1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार।
2. उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज।
4. सम्बन्धित थाना प्रभारी।

श्रीमती दिपिका त्यागी पत्नी श्री मूदित त्यागी, निवासी-मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार